संख्या– /VI-I/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

संस्कृति अनुभागः देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2006

विषयः–<u>पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1354/स0नि0उ0/दो–3 /2005–06 दिनांक 31 जनवरी, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय रूपये 7,000/– (रूपये सात हजार)मात्र को पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना कि स्वीकृत नार्म है, लेकिन नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–06 अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

5– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0संख्या– 1276 /वित्त (व्यय– नियंत्रक) अनुभाग–3/2006 दिनांक 21 मार्च,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

[redacted] पुनर्विनियोग 2005–06 विवरण पत्र

ण अधिकारी–निदेशक, संस्कृति निदेशालय। प्रशासनिक विभाग–संस्कृति विभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून दिनांक

आयोजनागत (धनराशि हजार रूपये में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का [redacted]	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
न संख्या–11 –कला एवं संस्कृति कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन व0 गो0ब0 पन्त लोक कला संस्थान अन्य भत्ते 16 [redacted]	–	–	16	अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति 00– 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय 00– 06–अन्य भत्ते ~~20~~ 07	27	9	संस्कृति भवन पौड़ी हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए 06–अन्य भत्ते मद में प्राविधानित धनराशि मांग की अपेक्षा कम आवंटित होने के फलस्वरूप रूपये 7000=00 (रूपये सात हजार) मात्र धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से नितान्त आवश्यक है ताकि कार्यरत कर्मियों को अन्य भत्ते का भुगतान हो सके।
योग 16	–	–	16	07 ~~20~~	27	9	–

णित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 155, 156 में प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

[redacted]